



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई- 400 001

Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai- 400 001

फोन/Phone: 022 - 2266 0502



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

04 अप्रैल 2022

**भारतीय रिज़र्व बैंक ने सामता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
पर मौद्रिक दंड लगाया**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 22 मार्च 2022 के आदेश द्वारा सामता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., कोलकाता (पश्चिम बंगाल) (बैंक) पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंक को जारी 'एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसकी संवीक्षा रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला है कि बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन करते हुए व्यक्तिगत/ समूह उधारकर्ताओं (प्रतिभू सहित या उसके बिना) के लिए असुरक्षित अग्रिमों संबंधी सीमा का पालन नहीं किया। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक